झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰–8 / ज॰सं॰(नि॰)ल॰सिं॰राँची–04 / 10:–..................................राँची, दिनांकः–............................

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अनियमित रूप से अग्रिम की स्वीकृति एवं उक्त अग्रिम के अनियमित समायोजन के संबंध में विभागीय उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में लगाये गए आरोपों के लिए श्री शिवबालक राम तत्कालीन मुख्य अभियंता संप्रति सेवानिवृत द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

प्राप्त स्पष्टीकरण को विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत सरकार ने इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार्य मानते हुए श्री शिवबालक राम तत्कालीन मुख्य अभियंता संप्रति सेवानिवृत को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार का उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

ह0/–
(डॉ॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 4418 /राँची, दिनांकः– 9-10-14 /

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखंड, राँची/आप्त सचिव, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र॰) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–01), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद/श्री शिवबालक राम, तत्॰ मुख्य अभियंता संप्रति सेवानिवृत, M.I. पी॰–53, आदित्यपुर, पोस्ट–आदित्यपुर (पश्चिम सिंहभूम) झारखंड/उप सचिव (अभि॰)–सह–नोडल पदाधिकारी, वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/14

(डॉ॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

9.10.14